

through the Punjab National Bank without the prior permission of the Reserve Bank of India as required under the Foreign Exchange Regulation Act and Exchange Control Manual; and

(b) if so, what are the details in this regard and how was Shri Paul able to circumvent these statutory requirements?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE): (a) and (b) 13 overseas companies belonging to Caparo Group Ltd., U.K. have remitted Rs. 12,39,97,301 through the Punjab National Bank for the purchase of shares of Escorts and Delhi Cloth and General Mills Company Ltd. The question as to whether these remittances are in contravention of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 is under examination in consultation with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs.

Abolition of Octroi Duty

199. SHRI HARISHANKAR BHABHRA; SHRI KALRAJ MISHRA; SHRI ASHWANI KUMAR:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to Un-starred Question 1558 given in the Rajya Sabha on the 10th May, 1983 and state the details of the progress made relating to the abolition of octroi duty in the States and Union Territories where it is still being levied?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE): The Chief Ministers of the States where octroi is still being levied have been again requested recently to implement the decision. As regards the Union Territories, the matter has been taken up with the Union Home Minister.

उत्प्रवासी भारतीयों को छूट दिए जाने की योजना

200. श्री रामेश्वर सिंह :

श्री रामनरेश कुशवाहा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के मामले में विशेष छूट दिए जाने की योजना का विवरण क्या है;

(ख) इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने उत्प्रवासी भारतीय लाभान्वित हुए हैं और 1977 से जून, 1983 तक, वर्ष-वार, उन्हें कब-कब और कितनी-कितनी छूट मिली है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुकुर्जी) : (क) अनुबंध 1 में विवरण दिया गया है जिसमें पूंजी निवेश के संबंध में प्रवासी भारतीयों को विशेष रियायतें देने वाली योजनाओं का ब्यौरा दिया गया है । (आगे देखिये)

(ख) योजना के मुख्य उद्देश्य, अनिवासी भारतीयों के लिए भारत में निवेश संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था करना और इस तरह से भारत में अपेक्षाकृत और ज्यादा विदेशी मुद्रा आकर्षित करना है जिससे कि देश के भुगतान शेष की स्थिति को सहारा मिल सके, और अन्ततः अनिवासी भारतीयों की वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी सहायता से औद्योगिकरण की गति तेज करना है ।

(ग) प्रवासी भारतीयों द्वारा फरवरी 1982 से पहले किए गए पूंजी निवेश के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । अप्रैल, 1982 से 30 जून, 1983 तक की अवधि के दौरान अनिवासी निवेशकर्ताओं द्वारा किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा संलग्न अनुबंध ii में दिया गया है । (आगे देखिये)

विवरण I

भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासी व्यक्तियों की तथा ऐसी कम्पनियों,

साझेदारी फर्मों, न्यासों, समितियों तथा अन्य निगमित निकायों को, जिन पर भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासी भारतीयों का कम से कम 60 प्रतिशत तक स्वामित्व है, निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त हैं :—

(क) वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां (वाहक प्रतिभूतियों से भिन्न) में राष्ट्रीय आयोजना बचत पत्रों में तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनितों में निवेश कर सकते हैं। जब निवेश विदेशी मुद्रा में प्रेषित राशि में किया जाए तो विक्री से प्राप्त रकम को प्रत्यावर्तित किए जाने की अनुमति होगी।

(ख) वे कम्पनी की चुकता पूंजी के एक प्रतिशत तक के ऐसे शेयरों में निवेश कर सकते हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंजों में विक्री के लिये रखा गया हो और परिवर्तनीय ऋणपत्रों की प्रत्येक श्रृंखला में भी उसके एक प्रतिशत भाग तक पूंजी लगा सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अनिवासी भारतीय निवेशकों द्वारा किये जाने वाले सामूहिक निवेश के सम्बन्ध में, जहां तक शेयरों का संबंध है, कम्पनी की कुल चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत भाग तक के शेयरों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है और जहां तक कम्पनी द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय ऋण-पत्रों का संबंध है ऋण-पत्रों की प्रत्येक श्रृंखला के 5 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा रखी गयी है। वे किसी मेट्रिक सीमा के बिना किसी भी भारतीय कम्पनी के अपरिवर्तनीय ऋण-पत्रों में पूंजी लगा सकते हैं। शेयरों और ऋण-पत्रों की विक्री से प्राप्त रकमों 1 करोड़ की अदायगी करने के उपरान्त कम से कम एक वर्ष की रोक-अवधि के बाद, प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दे दी गयी।

(ग) वे औद्योगिक गतिविधि में संलग्न नहीं विद्यमान कम्पनियों के नए निर्गमों में 40 प्रतिशत तक अभिदान कर सकते हैं। इस सुविधा के साथ प्रत्यावर्तन के अधिकार भी दिये गये हैं।

(घ) वे निर्यात प्रधान एककों और औद्योगिक नीति विवरण के परिशिष्ट I में दर्ज उद्योगों की स्थापना के लिए शेयरों में प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित 74 प्रतिशत तक पूंजी का निवेश कर सकते हैं।

(ङ) वे वाणिज्यिक निर्माण और कृषि भूमि के क्षेत्रों से भिन्न किसी भी अन्य गतिविधि में प्रत्यावर्तन अधिकारों के बिना किसी भी सीमा तक पूंजी का निवेश कर सकते हैं और इस प्रकार के निवेश को निवासी निवेश के समकक्ष माना जाएगा।

(च) वे भारत में विद्यमान पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों (जिनमें सीमित दायित्व वाले सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हैं) के पास पूर्ण प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित धनराशियां जमा रख सकते हैं, बशर्ते कि (क) ऐसी धनराशियां तीन वर्ष की अवधि के लिये जमा की गई थीं (ख) ये धनराशियां प्रचलित नियमों के अनुरूप और इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा जमा के रूप में राशियों को स्वीकार करने के लिये निर्धारित सीमा में जमा की गई हो, और (ग) ये धनराशियां जमाकर्ताओं द्वारा या तो विदेशों से भेजी गई हों या अपने अनिवासी (वाह्य) एक सी एन आर खातों में से अदायगी करके की गई हों।

वित्त अधिनियम 1983 में अनिवासी भारतीयों द्वारा (I) भारतीय कम्पनी के शेयरों, (II) भारतीय पब्लिक लिमिटेड

कम्पनियों द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों, (III) भारतीय पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निक्षेपों, (IV) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों तथा (V) किसी ऐसी परिसम्पत्ति में किये जाने वाले निवेशों के संबंध में जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निष्पात कर इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किया गया हो, कतिपय राजकोषीय रियायतें दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। इन रियायतों में मुख्य रूप से ये व्यवस्था की गई है कि अनिवासी व्यक्तियों द्वारा इन विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में किये गये पूंजी निवेश से इनको जो आमदनी हो उस पर 20 प्रतिशत की समान दर से कर और 2.5 प्रतिशत की एक समान दर से अधिभार वसूल किया जाए। इसके अलावा, इन परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभ पर भी उसी दर से कर वसूल किया जाएगा। इन अनि-

वासियों को यह विकल्प भी दे दिया गया है कि वे निकासी करदाताओं पर लागू सामान्य दरों में हिसाब से कर अदा कर दें यदि उनको वे दरें अनुकूल प्रतीत हों। इसके अलावा, इन निवेशों पर घन कर से भी छूट दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त अनिवासी भारतीयों द्वारा इन परिसम्पत्तियों को भारत में रहने वाले अपने संबंधियों को दान के रूप में दे देने पर भी दानकर से छूट दे दी गयी है। इन अनिवासी भारतीयों से, उनके वापस आने के बाद भी, भारतीय लिमिटेड कम्पनियों के ऋण-पत्रों और उनके पास जमा रखी गई रकमों तथा कुछ केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों आदि जैसी अपने आप नकदी का रूप ग्रहण करने वाली परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाली आमदनी पर भी उसी दर से कर लिया जाता रहेगा।

विवरण II

I शेयरों और ऋणपत्रों में पूर्ण प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित प्रत्यक्ष निवेश :

(क) 40 प्रतिशत योजना	अनुमोदित प्रस्ताव	
	प्रस्तावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
(i) नई कम्पनियों में निवेश	75	26.87
(ii) मौजूदा कम्पनियों में निवेश	61	37.58
	136	64.45
(ख) 74 प्रतिशत योजना		
(i) अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	5	
(ii) उनको राशि	11.55 करोड़ रुपये	

1	2
II उपर्युक्त अवधि में अप्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश :	7.32 करोड़ रुपये
III (i) पोर्टफोलियों निवेश के लिये नामांकित बैंकों/शाखाओं की संख्या :	.
(क) बैंक	36
(ख) बैंकों की शाखाएं	187
(ii) उपर्युक्त अवधि में प्रत्यावर्तन आधार पर पोर्टफोलियो निवेश	
(क) व्यक्तियों से प्राप्त अनुमोदित आवेदनों की संख्या	114
(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा मुख्य रूप से धारित विदेशी निगमित निकायों से प्राप्त अनुमोदित आवेदनों की संख्या	19
(ग) 31 मार्च, 1983 तक अपने अनिवासी भारतीय घटकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों से भारत स्थित बैंकों द्वारा शेयरों/ऋणपत्रों की वास्तविक खरीद	22.91 करोड़ रुपये
(iii) 31 मार्च, 1983 तक अपने अनिवासी भारतीय घटकों की ओर से स्टॉक एक्सचेंजों के यहां भारत स्थित बैंकों द्वारा उक्त अवधि में अप्रत्यावर्तन आधार पर किया गया पोर्टफोलियो निवेश	1.33 लाख रुपये
(iv) पोर्टफोलियों निवेश योजना के अन्तर्गत अनिवासी निवेशकों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अनुमोदनों की संख्या	190